कार्यालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना (म0प्र0)

–::परिपत्र::–

क्रमाँक :– Q .... / को0वा0 / 2020 गुना, दिनाँक :– .25 / 03 / 2020

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमां क्यू / 5 दिनाँक 25–03–2020 के अनुसार सम्पूर्ण जिला गुना में पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता हैं कि, कोरोना वायरस (कोविड–19) के कारण माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल द्वारा यह निर्देश जारी किये गये है कि, दिनाँक 14–04–2020 तक सभी अधीनस्थ न्यायालयों में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा । विशेष आकस्मिक त्वरिक सुनवाई योग्य मामलों में (सिविल / क्रिमिनल) जिला मुख्यालय पर जिला न्यायाधीश की अनुमति से तथा तहसील न्यायालयों में वरिष्ठतम न्यायाधीश की अनुमति से संबंधित न्यायालय द्वारा वीडियों कान्फ्रेसिंग अथवा अन्य प्रकार से जैसा की संबंधित न्यायाधीश द्वारा उचित समझा जावे, इस प्रकार सुनवाई की जा सकेगी कि, उक्त वायरस का संक्रमण रोका जा सके ।

सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को इस संबंध में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा । सभी अधिकारीगण व कर्मचारीगण मुख्यालय पर ही रहेगें एवं अपने मोबाईल सक्रिय मोड पर रखेगें और समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन करेगें ।

किसी अधिवक्ता अथवा पक्षकार द्वारा न्यायालय से संबंधित किसी भी कार्य के संबंध में श्री राकेश कुमार चतुर्वेदी, प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय गुना से मोबाईल नम्बर 8120527580 तथा ई–मेल आईडी chaturvedi.rakesh996@gmail.com पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकेगी । दिनाँक 01–04–20 से दिनाँक 14–04–20 तक के लिये नियत मामलों में संबंधित पक्षकारों / अधिवक्तागण को न्यायालय खुलने पर सूचित किया जावेगा।

sd/-

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमाँक :– .... / को0वा0 / 2020 गुना, दिनाँक :– .25 / 03 / 2020

प्रतिलिपि–

1– रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय जबलपुर ।
2– प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर
3– अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, गुना
4– प्रधान न्यायाधीश / समस्त न्यायिक अधिकारी, मुख्यालय एवं तहसील न्यायालय गुना
5– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना की ओर रिमाण्ड संबंधी कार्यवाही हेतु।
5– कलेक्टर, गुना
6– पुलिस अधीक्षक, गुना
7– अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, गुना / आरोन / चांचौड़ा / राधोगढ़
8– जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, गुना
9– प्रशासनिक अधिकारी / लेखापाल, कार्या0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

25/03/2020

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म0प्र0)